दिनांक 07.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 465/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

- सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से ZFD कार्यक्रम के तृतीय एवं चतुर्थ चरण की क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- कार्यशाला में 59 जनपदों के 213 दुर्घटना बाहुल्य स्थलों पर गठित 228 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों के प्रभारी एवं ZFD नोडल अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने दुर्घटनाओं के मूल कारणों की वैज्ञानिक पहचान एवं उनके प्रभावी निराकरण पर विशेष बल दिया।
- क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को अपने क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर मिशन मोड में प्रभावी प्रिवेंशन एवं प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- दुर्घटना रोकथाम एवं विवेचना में विशेषज्ञता, तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया।
- सड़क सुरक्षा, मोटर वाहन अधिनियम, दुर्घटना विवेचना, iRAD/eDAR, ब्लैक स्पॉट, प्रथम उपचार एवं CPR आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
- जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान ZFD से आच्छादित स्थलों पर दुर्घटनाओं में 6.97%, मृतकों में 8.03% तथा घायलों में 6.11% की कमी दर्ज की गई।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली कानपुर के थाना विधनू, बाराबंकी एवं सुल्तानपुर के थाना कोतवाली नगर की क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि को न्यूनतम किए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में तथा **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश** के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से प्रदेश में संचालित Zero Fatality District (ZFD) योजना को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाए जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 07-09-2026 को पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में यातायात निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में ZFD कार्यक्रम के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश के 59 जनपदों के सर्वाधिक दुर्घटना बाहुल्य 213 चिन्हित क्रिटिकल स्थानों पर गठित 228 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों (CC Teams) के प्रभारी अधिकारियों एवं ZFD नोडल अधिकारियों (अराजपत्रित) द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला के दौरान **श्री राजीव कृष्ण,** पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सम्बोधन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि

सड़क दुर्घटनाओं को केवल आकस्मिक घटना मानने के बजाय उनके पीछे मौजूद कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कर उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक ने क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारियों को अपने-अपने Area of Responsibility (AOR) में दुर्घटना संभावित स्थलों एवं उनके कारकों की पहचान कर प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना रोकथाम एवं दुर्घटना की विवेचना दोनों ही विशेषज्ञता वाले कार्य हैं, जिनमें तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। संबंधित विभागों से अपेक्षित सुधारात्मक कार्यों को निरंतर फॉलोअप एवं उच्च स्तर पर एस्केलेट करते हुए पूर्ण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का दायित्व केवल दुर्घटना के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना भी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक दुर्घटना के बाद उसके कारणों की समीक्षा करते हुए यह चिन्हित किया जाए कि व्यवस्था में कौन-सी कमी के कारण दुर्घटना हुई और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सुधार आवश्यक हैं। इसके लिए आवश्यक प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा उपाय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रक्रिया का सही एवं निरंतर अनुपालन सबसे महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों द्वारा चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय एवं अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने क्रिटिकल कॉरिडोर टीम के कार्य को विशेषीकृत पुलिसिंग का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए टीम प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित प्रिवेंशन एवं इन्वेस्टिगेशन में विशेषज्ञता विकसित करने, आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर भी विशेष बल दिया गया। साथ ही, क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों के कार्य एवं उनके परिणामों को भविष्य में पुलिस अधिकारियों की कार्यक्षमता एवं करियर प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई।

पुलिस महानिदेशक द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम, प्रभावी प्रवर्तन, दुर्घटना विश्लेषण तथा प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किए जाने पर भी जोर दिया गया।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों का भी पुलिस महानिदेशक द्वारा संज्ञान लिया गया। उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक**,** यातायात को निर्देशित किया कि प्राप्त सुझावों का समुचित परीक्षण कर आवश्यकतानुसार उन्हें यातायात से संबंधित आगामी पॉलिसी में सम्मिलित किया जाए**,** ताकि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

ZFD एवं सड़क सुरक्षा विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण

कार्यशाला के प्रथम सत्र में **श्री ए. सतीश गणेश**, निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम तथा सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि को न्यूनतम किए जाने के दृष्टिगत इंटरसेप्टर के युक्तिसंगत एवं प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में विषय-विशेषज्ञों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

- श्री रमेश चन्द्र प्रजापति, GTO/PTO, बरेली द्वारा प्रवर्तन उपकरणों एवं मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के संबंध में जानकारी दी गई।
- डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता, मेदांता हॉस्पिटल द्वारा CPR एवं First Aid के संबंध में प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।
- श्री शिजान, NIC द्वारा iRAD/eDAR, पीएम राहत योजना तथा Victim/Patient ID के संबंध में जानकारी दी गई।
- पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा Accident Investigation, Black Spot एवं Case Study आदि विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

ZFD योजना के सकारात्मक परिणाम

- उल्लेखनीय है कि Zero Fatality District (ZFD) योजना प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट/जनपदों के सर्वाधिक दुर्घटना बाहुल्य 700 स्थानों पर लागू है, जिसके सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
- ZFD योजना से आच्छादित स्थानों पर जनवरी से अगस्त 2026 तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों की संख्या में क्रमशः 6.97 प्रतिशत, 8.03 प्रतिशत एवं 6.11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 1,255 की कमी हुई, अर्थात प्रतिदिन औसतन लगभग 07 दुर्घटनाएं कम हुईं। इसी प्रकार 1,107 अमूल्य मानव जीवन बचाने में सफलता प्राप्त हुई, अर्थात प्रतिदिन औसतन लगभग 05 जीवन बचाए गए।

'जहाँ दुर्घटनाएं अधिक, वहाँ कार्रवाई अधिक' के सिद्धांत पर केंद्रित है ZFD

- Zero Fatality District योजना Core Strategy – Focused Intervention पर आधारित है, जिसके अंतर्गत "जहाँ दुर्घटनाएं अधिक, वहाँ कार्रवाई अधिक" के सिद्धांत को अपनाया गया है।
- योजना के अंतर्गत Scientific Analysis के आधार पर ऐसे स्थानों को निरंतर चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अतिरिक्त एवं लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यातायात निदेशालय स्तर से इन स्थानों पर गठित क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों के प्रभारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से संवेदित एवं मार्गदर्शित किया जा रहा है।
- ZFD योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वैज्ञानिक विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, प्रभावी संसाधन उपयोग, सड़क अभियांत्रिकी संबंधी कमियों का निराकरण तथा अंतरविभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान कमिश्नरेट कानपुर के थाना विधनू, जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर व जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली नगर में Zero Fatality District योजना के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाली क्रिटिकल कॉरिडोर टीम के प्रभारियों एवं सदस्यों को **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा** प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री मयंक ज्योति, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं श्री के0एस0 इमैन्युअल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

A.S. GANESH
राजीव कृष्णा

दिनांक 07.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 466/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद श्रावस्ती/थाना को0भिनगा

- **पुलिस कार्यवाही में 50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2026 को थाना कोतवाली भिनगा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्टा तिराहे से जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गिरीश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शिवकुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 हजार रूपये नगद, चोरी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गिरीश के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, बस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग एवं अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में

वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली भिनगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गिरीश निवासी हनुमानगढ़ी कस्बा व थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती।

2–शिवकुमार निवासी गोबार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–चोरी के 15 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच

- **घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 35 हजार रूपये नगद**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा आदि बरामद**

दिनांक को थाना कोतवाली कोंच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रवि घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–जमील अहमद 3–प्रमोद उर्फ चीकू सहित गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 35 हजार रूपये नगद, लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/

खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04/05.09.2026 की रात्रि थाना कोतवाली कोंच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कोंच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि डकैती की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कोंच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन।

2–जमील अहमद निवासी कांशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन।

3–प्रमोद उर्फ चीकू निवासी ग्राम सिमरिया थाना कोतवाली कोंच जनपद जालौन।

बरामदगी

1–लूटे गये 35 हजार रूपये नगद।

2–लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि थाना बर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बर्रा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अजय निवासी न्यू अशोक नगर थाना कल्याणपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नदीम को मृत्युदण्ड व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना खेकड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेन्द्र 2–मनोज 3–प्रमोद को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————